सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 13, शुक्रवार, शाके 1945-अगस्त 04, 2023 *Sravana 13, Friday , Saka 1945- August 04, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 25, 2023

संख्या प.4(7) कृषि/ग्रुप-2/2015 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 24.08.2016 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, बज्जू की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति, बज्जू द्वारा मण्डी क्षेत्र ग्राम गिराजसर में गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियमए 1961 की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम गिराजसर में गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है जिसकी सीमाए निम्न प्रकार से होंगीः.

पूर्व में . शमशान भूमि तक
पश्चिम में . भाटो का बास तक
उत्तर में . जी.एस.एस. बिजली घर तक
एवं दक्षिण में . नखत बन्ना मंदिर गौचर भूमि तक

गौण मण्डी यार्ड गिराजसर की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकाने एवं भू.भाग आदि सम्मिलित होगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव

2535

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।